



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची-8240004

पत्रांक.....
प्रेषक

राँची, दिनांक

एस के सुमन
सदस्य सचिव ।

सेवा में

निदेशक
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची ।

विषय: झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का एक सूचना (CTE /CTO के Digital Signature से संबंधित के प्रकाशन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में इस पर्षद से संबंधित CTE /CTO के Digital Signature से संबंधित संलग्न सूचना को निम्नलिखित स्थानीय समाचार पत्रों में जो पूरे राज्य में पढ़ा जा सके, दर्शाये गये तिथि के अनुसार डी०ए०भी०पी० दर पर प्रकाशन कराया जाय ।

1. प्रभात खबर, झारखण्ड संस्करण – एक दिन प्रकाशन तिथि 05.05.2016
2. हिन्दुस्तान, झारखण्ड संस्करण – एक दिन प्रकाशन तिथि 05.05.2016
3. दैनिक जागरण, झारखण्ड संस्करण – एक दिन प्रकाशन तिथि 05.05.2016
4. दैनिक भास्कर झारखण्ड संस्करण – एक दिन प्रकाशन तिथि 05.05.2016
5. Times of India, झारखण्ड संस्करण – एक दिन प्रकाशन तिथि 05.05.2016
6. Hindustan Times, झारखण्ड संस्करण – एक दिन प्रकाशन तिथि 05.05.2016
7. The Pioneer, झारखण्ड संस्करण – एक दिन प्रकाशन तिथि 05.05.2016
8. The Telegraph, झारखण्ड संस्करण – एक दिन प्रकाशन तिथि 05.05.2016

कृपया दर्शाये गये तिथि को न्यूनतम साईज में उपरोक्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(एस के सुमन)

सदस्य सचिव

राँची/ दिनांक 03/5/16

ज्ञापांक B-2779

प्रतिलिपि- लेखाशाखा, मुख्यालय राँची/वेबसाईट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(एस के सुमन)

सदस्य सचिव

4→



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A Division Building (Ground Floor) HEC Campus, Dhurwa, Ranchi- 834004.

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, Fax No:- 2400850..

महत्वपूर्ण सूचना

एतद् द्वारा सभी औद्योगिक इकाईयों को सूचित किया जाता है कि

(i) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1974 एवं/अथवा

(ii) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981

के अन्तर्गत पर्षद् द्वारा स्थापना सहमति (CTE)/संचालन सहमति (CTO)

तथा

(i) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 अथवा

(ii) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

के अन्तर्गत प्राधिकरण (Authorisation) निर्गत करने से संबंधित

आवेदन के स्वीकृत (Grant)/ अस्वीकृत (Reject)/ कारण पृच्छा (Show-cause) किये जाने पर SMS Alert द्वारा आवेदक को सूचना प्रेषित की जा रही है। अब पर्षद् द्वारा सभी सहमति आदेश/प्राधिकरण पर्षद् द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के Digital Signature के साथ निर्गत किये जा रहे हैं जिन्हें आवेदक द्वारा अपने ID से अथवा बोर्ड की website jhkocmms.nic.in से download किया जा सकेगा।

अब पर्षद् द्वारा कोई भी सहमति आदेश या प्राधिकरण की Hard Copy आवेदक को नहीं भेजी जायेगी।

(संजय कुमार सुमन)

सदस्य सचिव